# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फागी

गल्ली खां बनाम सादु खां

मुकदमा संख्या /वर्ष : 54 /2024 टीए

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 09/10/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित / ... आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 27/10/25 को पेश हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>फागी | |
| | 27/10/25 | पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं० 17,18 ने जवाब प्रार्थना-पत्र मय प्रार्थना-पत्र 151 CPC पेश किया। जवाब प्रा०पत्र व प्रा०पत्र 151 CPC की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाकर शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र 151 CPC का जवाब नहीं देकर मौखिक बहस करने का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी सं० 17,18 ने अपनी बहस में बताया कि माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश होने से प्रार्थी/अप्रार्थी सं० 17,18 के विक्रय पत्र दिनांक 22/4/2013 का नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है।<br>प्रा०पत्र 151 CPC पर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन व पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रा०पत्र 151 CPC स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।<br>अतः प्रा०पत्र 151 CPC स्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 24/6/2024 से अप्रार्थी सं० 17 | |

सहायक कलक्टर
फागी, जयपुर

गफ्फार खाँ बनाम बाबू खां.

नाम न्यायालय :- सि०न्या० फागी

मु०न० :- 54/2024 ना.र

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | श्रीमती दीपशिखा w/o दीपकचन्द्र, अप्रार्थी सं० 18 श्रीमती भगवती w/o मुरलीलाल के पक्ष हिस्से की ~~बेचान~~ का विक्रय पत्र दि० 22/5/2013 का नामान्तरकरण खोलने कि इन्द्राज अपास्त किया जाता है, शेष स्थगन आदेश यथावत रहेगा। वकील अप्रार्थी की प्रार्थना-पत्र न०२ पर बहस सुनी गई। <br> बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुल वाद बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है और कि निस्तारण के अंतिम स्तर पर है, ऐसी स्थिति में वाद बहुलता बढ़ सकती है ना बढ़ें इस हेतु अप्रार्थी को मुल वाद के निस्तारण तक मौके व लिखाई कि यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार पत्रावली मूल फैसल में शुमार होकर पक्ष वास्ते पेश होवे। <br> सहायक कलक्टर <br> फागी, जयपुर |